दूरभाष : 011-23238542, 23236740
Telephone : 011-23238542, 23236740
फैक्स : 0091-011-23231252
Fax : 0091-011-23231252
E-mail ई-मेल: secretary@dciindia.org
Website : www.dciindia.org.in

ऐवान-ए-गालिब मार्ग
कोटला रोड, नई दिल्ली - 110 002
Aiwan-E-Galib Marg,
Kotla Road, New Delhi - 110 002

स्पीड-पोस्ट
वैबसाइट

भारतीय दन्त परिषद
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)

सं०डीई-बीडीएस(सा०)दाखिला-2018/ 285 दिनांक 20 जून, 2018

सेवा में,
बीडीएस पाठ्यक्रम संचालित करने वाले देश के सभी दंत महाविद्यालय

विषय: **अकादमिक सत्र 2018-2019 में दंत कॉलेजों में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।**

*****

महोदय,

उपर्युक्त विषय के बारे में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, नए या उच्चतर अध्ययन अथवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आरंभ तथा दंत महाविद्यालयों में प्रवेश झमता की वृद्धि) (13वां) विनियम, 2018 में दी गई समय-सारिणी के अनुसार, प्रथम बीडीएस पाठ्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, अकादमिक सत्र 2018-19 में दाखिला लेने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2018 है; जिस तक छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

2. तदनुसार, कॉलेज प्राधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अकादमिक सत्र 2018-2019 में अपने दंत संस्थान में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर, पहले से आवंटित अपने लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके, 15 सितंबर, 2018 तक या इसके पूर्व अवश्य ही अपलोड करें अन्यथा यह माना जाएगा कि अकादमिक सत्र 2018-19 के लिए कॉलेज प्राधिकारियों ने अपने कॉलेज में बीडीएस पाठ्यक्रम में कोई दाखिला नहीं लिया है। अगर कॉलेज प्राधिकारी निर्धारित अंतिम तारीख के बाद किसी भी दाखिले का दावा करता है तो उसके विरुद्ध दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10बी और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. चूंकि, दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 की धारा 10डी के अनुसार, बीडीएस पाठ्यक्रम में सभी दाखिले केवल सी०बी०एस०ई० द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से ही होंगे, इसलिए डीसीआई ने छात्रों के ऑनलाइन विवरण भरने के लिए एक ऐसा मॉड्यूल विकसित किया है जिसमें कॉलेज प्राधिकारी छात्र का NEET रोल नंबर दर्ज करके बहुत कम समय में छात्र का पूरा विवरण सही ढंग से अपलोड करने में सक्षम होंगे।

4. इस परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि डीसीआई वेबसाइट पर छात्रों के केवल अपलोड किए गए विवरणों पर ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त छात्रों के किसी भी विवरण जैसे कि ई-मेल या लिखित प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा ई-मेल या डाक के माध्यम से छात्रों का कोई विवरण न भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रों के उपर्युक्त विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध, कोई अन्य कारण, तकनीकी गड़बड़ी का बहाना अथवा किसी अन्य बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर पर, समय से, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के प्रबंध करें जिससे कि किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सके और परिषद इस मामले में समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सके।

5. अगर कोई दाखिला या दाखिले संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 का उल्लंघन करके अथवा अकादमिक सत्र 2018-19 की प्रवेश की समय सारिणी का उल्लंघन करके अथवा भारतीय दंत परिषद की वेबसाइट पर छात्रों का विवरण अपलोड करने से संबन्धित ऊपर दिये किसी निर्देश का अनुपालन न कर पाने पर अथवा दंत

कृ०पृ०उ०

चिकित्सक अधिनियम और इसके अंतर्गत बने विनियमों का उल्लंघन करके किए जाते हैं तो कॉलेज प्राधिकारी ऐसे दाखिल किए गए छात्रों को बर्खास्त कराने के लिए उत्तरदायी होंगे और ऐसा न करने पर, दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10बी के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे छात्रों की दंत शैक्षणिक योग्यता अमान्य करने हेतु अथवा / और दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए के प्रावधानों के अनुसार प्रवेश की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दोषी दंत कॉलेज की मान्यता समाप्त करने हेतु; इनमें से जो भी होगी, कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि उपरोक्त संदर्भ में कोई समस्या होती है तो आप तकनीकी सहायता हेतु भारतीय दंत परिषद को helpdciindia@gmail.com अथवा दूरभाष 011-23238542 पर संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

— ह० —

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद

प्रति:-

1. सचिव भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (स्वास्थ्य विभाग - दंत शिक्षा अनुभाग), कमरा न० - 539, ए विंग, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110 108 - सूचना हेतु।
2. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा सचिव - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारियों ने उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन किया है।
3. सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चिकित्सा शिक्षा निदेशक - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारियों ने उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन किया है।
4. सभी विश्वविद्यालयों के पंजीयक के अंतर्गत दंत कॉलेज - सूचना हेतु और यह सुनिश्चित करने के अनुरोध के साथ कि कॉलेज प्राधिकारियों ने उपर्युक्त शर्तों का पूर्णता से अनुपालन किया है ।
5. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद।
6. भारतीय दंत परिषद, सर्वर रूम - भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर अपलोड हेतु।

स०. साहा

(डॉ० सब्यसाची साहा)
सचिव
भारतीय दंत परिषद